न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–02/2026

1. सम्पत सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजबाला पत्नी सम्पत सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी (सायलान)

1. महेन्द्र पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी 10–11 डीपीएन गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भंवरसिंह पुत्र सायर सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम पंचायत गोगामेड़ी जरिये सरपंच गोगामेड़ी।
4. ग्राम विकास अधिकारी गोगामेड़ी तहसील नोहर ।
5. अध्यक्ष महोदय प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति एवं पंचायत समिति नोहर।

––– अप्रार्थीगण(गैरसायलान)

उपस्थितः– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या– 01
श्री विकास कुमार एडवोकेट अप्रार्थी संख्या–02

निर्णय दिनांकः–06.04.2026

प्रार्थी सम्पत सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर एंव राजबाला पत्नी सम्पत सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर द्वारा पंचायत समिति नोहर मिसल संख्या 9/2025 महेन्द्र सिंह बनाम सम्पतसिंह आदि में दिनांक 05.12.2025 को पारित [illegible]त अपील पेश की गई, जिसकें संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested

1. गैरसायल संख्या 1 ने अपील अन्तर्गत धारा 61 पंचायती राज अधिनियम महेन्द्र सिंह बनाम सम्पत सिंह आदि इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत गोगामेड़ी चक 11 डीपीएन गोगामेड़ी का निवासी है तथा मैने जरिये इकरारनामा नथूसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निवासी उदयपुर वाटी से दिनांक 21.02.2011 को खरीदशुदा उक्त भूखण्ड नथूसिंह द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 26.10.1981 को मांगुसिंह पुत्र कल्याणसिंह से खरीदशुदा है। जिसका मांगुसिंह के नाम पट्टा जारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने पंचायत से मिलीभगत करके अपने नाम 20.10.2017 को पट्टा जारी करवा लिया, जिसे निरस्त किया जावे तथा उक्त पट्टा पर इस आशय का स्थगन जारी किया जावे कि वह निर्माण नहीं करे तथा रहन, बैय नहीं करें। पंचायत समिति ने उक्त अपील दर्ज करके उक्त भूखण्ड पर एकपक्षीय स्थगन जारी कर दिया तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना हमें पक्षकार बनाए दिनांक 05.12.2025 को पट्टा खारीज कर दिया, जो निम्न आधार पर अपील योग्य है।

(1) यह कि अध्यक्ष स्थापना व स्थाई समति ने उक्त आदेश जारी करते वक्त अपना माईण्ड अप्लाई नहीं किया तथा ना प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर किया। मनमाने व विधि विरूद्ध तरीके से उक्त उपखण्ड पर स्थगन जारी करके भारी भूल की है।

(2) उक्त आदेश मनमाना व स्वैच्छाचारिता पूर्ण होने के कारण न्यायायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

(3) उक्त भूखण्ड मांगुसिंह के नाम था। मांगुसिंह ने भंवरसिंह को बेच दिया. तथा भंवरसिंह से राजबाला ने खरीद कर लिया तथा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत भी करवा लिया बाद खरीद सायला राजबाला के ही कब्जा में चला आ रहा है, जिसमें सायला परिवार सहित निवास कर रही है फिर भी पंचायत समिति ने बिना दस्तावेजों की जांच पड़ताल किये एक पक्षीय तौर पर स्थगन जारी करने की भारी भूल की है।

(4) उक्त भूखण्ड सायला राजबाला के नाम से है लेकिन पंचायत समिति में राजबाला को फरीक भी नहीं बनाया, फिर भी बिना पक्षकार बनाये राजबाला के खिलाफ स्थगन जारी कर दिया, जो खारीज किया जावे।

(5) विवादित भूखण्ड मांगुसिंह का था जिस पर वह काबिज था तथा मांगुसिंह ने भंवरसिंह को विक्रय कर दिया भंवरसिंह से निगरानीकर्ता संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.12.2024 को खरीद लिया बाद खरीद उक्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। पंचायत समिति में तथ्य को छिपाकर यह अपील पेश करके तथा राजनैतिक दवाब दिलवाकर विधि विरूद्ध तरीके से यहां खारीज करवा दिया, जो अपास्त योग्य है।

(6) विवादित भूखण्ड पर मांगुसिंह का कब्जा था तथा मांगुसिंह ने भंवरसिंह को विक्रय कर दिया तथा भंवरसिंह ने उक्त जमीन का अपने नाम से पट्टा बनवा लिया। भंवरसिंह से जिसे निगरानीकर्ता संख्या 2 राजबाला ने खरीद कर लिया जबकि उक्त अपील में अपीलान्ट ने राजबाला को पक्षकार ही नहीं बनाया तथा बिना सुनवाई किये मनमाने तरीके से यह निर्णय पारित करवा लिया, [redacted] निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

(7) उक्त अपील में अपीलान्ट ने विवादित भूखण्ड नत्थुसिंह से खरीद करना बताया है तथा नत्थुसिंह ने मांगुसिंह से खरीदा जबकि मांगुसिंह ने कभी भी इकरारनामा नत्थुसिंह को नहीं करवाया ना ही ऐसा पत्रावली में कोई सबूत है फिर भी मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध तरीके से यह निर्णय पारित करके भारी भूल की है।

(8) निगरानीकृत आदेश दिनांक 05.12.2025 का है, जो अंदर मियाद है।

(9) यह कि उक्त निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है तथा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत हैं।

(10) निगरानी के अन्य बिन्दु वर वक्त बहस निवेदन कर दिये जावेगे।

अतः निगरानी पेश करके निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 05.12.2025 मिसल नं. 9/25 खारीज किया जावे

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–02 की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए एंव सहमती प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी संख्या 3, 4 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या–04 से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पंचायत समिति नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2025 में दिनांक 05.12.2025 को मिसल संख्या 191/2004–05 भंवरसिंह पुत्र श्री शायरसिंह के पंजीयनशुदा पट्टे को खारिज किया गया है। उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड भंवरसिंह पुत्र शायरसिंह से खरीदशुदा है। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर में अपीलांट द्वारा बताया गया कि यह भूखण्ड नत्थुसिंह से खरीद किया है तथा नत्थुसिंह ने मांगुसिंह से खरीदा जबकि मांगुसिंह ने कभी भी इकरारनामा नत्थुसिंह को नहीं करवाया ना ही ऐसा पत्रावली में कोई सबूत है। कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली में नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि पट्टा इसी विवादित भूखण्ड का है। पट्टे की फोटोप्रति पत्रावली में प्रस्तुत की गई। मूल पट्टा नहीं, नक्शा नहीं है एंव आस–पास के पड़ौसियों के हस्ताक्षर भी नहीं है। समस्त दस्तावेजों की फोटा प्रति पेश की गई है। ग्राम पंचायत ढीलकी द्वारा दिनांक 10.10.1981 को पट्टा जारी किया गया एंव दिनांक 26.10.1981 को खरीद होना बताया है। पट्टा जारी होनें के 10 दिन बाद कैसे खरीद किया गया। ग्राम पंचायत ढिलकी में 2 जीजीएम लिखा गया जबकि मेरा पट्टा ग्राम पंचायत गोगामेड़ी में है। मांगुसिंह के नाम से जारी पट्टा 100 X 100 वर्गफुट का है जबकि पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड का साईज 1111वर्गफुट बताया गया है। ग्राम पंचायत में मांगुसिंह के नाम से जारी पट्टे का ग्राम पंचायत में रिकार्ड के केवल एक रसीद उपलब्ध है एंव अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मेरा 50 X 120 वर्गफुट के भूखण्ड का रजिस्ट्रर्ड बैयनामा है। अधीनस्थ न्यायालय समिति नोहर द्वारा बिना जांच के पट्टा खारिज किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 05.12.2025 को पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि विवादित भूखण्ड मांगुसिंह पुत्र कल्याण सिंह का है। ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान के द्वारा मांगुसिह पुत्र कल्याणसिंह निवासी गोगामेड़ी के नाम से राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के तहत दिनांक 10.10.1981 को पट्टा जारी किया गया। मांगुसिंह द्वारा दिनांक 26.10.1981 को नत्थुसिंह पुत्र सवाईसिंह कौम राजपूत साकिन गोगामेड़ी का बैचान कर दिया गया। नत्थुसिंह पुत्र सवाई सिंह से जरिय इकरारनामा मुझ प्रार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट को बैचान कर दिया गया है। भंवरसिंह द्वारा पट्टे पर पटटा बनवाया गया है। भंवरसिंह पुत्र शायरसिंह के नाम से मिसल संख्या 191/ 2004–05 तारीख दायर दिनांक 20.10.2004 ग्राम पंचायत गोगामेड़ी द्वारा दिनांक 27.12.2004 को पट्टा जारी किया गया है। अतः पट्टा फर्जी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 157 के तहत पुराने घरों के विनिमियतीकरण का पट्टा जारी किया जाता है लेकिन उक्त भूखण्ड की जगह वर्तमान में खाली है, मकानात आदि का निर्माण नहीं किया गया है। खाली प्लॉट के चारों और तारबंदी एंव लोहे की एंगल लगाई गई है। पंचायत समिति नोहर में अपील पट्टा को खारिज करवाने बाबत पेश की गई लेकिन पट्टा संख्या अंकित नहीं किया गया है। जिस भूखण्ड का ग्राम पंचायत ढिलकी द्वारा दिनांक 10.10.1981 को पट्टा जारी किया गया था उसी भूखण्ड का ग्राम पंचायत गोगामेड़ी द्वारा दिनांक 27.12.2004 को पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर में पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी होना बताया गया है। भंवरसिंह पुत्र शायरसिंह से भूखण्ड खरीदनें के बाद पत्नी के नाम दानपात्र क्यों करवाया गया, इसका जवाब न्यायालय पंचायत समिति नोहर में प्रस्तुत नहीं किया गया। खाली भूखण्ड पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 157 के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। मौका निरीक्षण में मांगुसिंह के नाम से पट्टा जारी होना बताया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2025 उचित है। निगरानीकर्ता की निगरानी अपास्त की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। निगरानी स्वीकार योग्य होनें स्वीकार की जाकर पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2025 को अपास्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:09
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फेसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 6/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

6/4/26

(संजू पारीक आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested